प्रेषक,

डॉ.(श्रीमती)गंगा शर्मा
प्रधान मजिस्ट्रेट
किशोर न्याय बोर्ड,
फतेहपुर।

सेवा में,

माननीय जनपद न्यायाधीश
फतेहपुर।

विषय– **<u>किशोर न्याय बोर्ड में आधारभूत संरचना में कमियों के सम्बन्ध में।</u>**

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि वर्तमान समय में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही जिस परिसर में संचालित की जा रही है वह उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2019 के अनुरुप नही हैं तथा उसमें अनेक आधारभूत कमियां है, जिस कारण बोर्ड की कार्यवाही सम्यक रुप से संचालित कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

वर्तमान समय में किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत मामलों की सुनवाई किये जाने हेतु कोई अलग कक्ष प्रदान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम, 2019 के नियम 06(2) के अनुसार ''बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा की जब मामले की सुनवाई चल रही हो तब कमरे में ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, जिसका उस मामले से कोई सम्बन्ध न हो''। वर्तमान समय में बोर्ड के सभी सदस्य व सहायक सह आंकडा प्रविष्टि प्रचालक एवं अधिवक्तागण सभी एक ही कक्ष में बैठ रहे हैं जिस कारण नियम 6(2) का अनुपालन सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जिस कक्ष में किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही संचालित की जा रही है उसी के समानांतर के कक्ष में बाल कल्याण समिति की कार्यवाही भी संचालित की जाती है। दोनों कक्षों को लगभग 06 फीट उंची अस्थायी दीवार से विभाजित किया गया है। दोनों समानांतर कक्षों में एक साथ कार्यवाही संचालित, दोनों कक्षों में होने समुचित विभाजन न होने, एवं बाल कल्याण समिति में अत्याधिक भीड़ व शोरगुल होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड की कार्यवाही संचालित करने में बाधा उत्पन्न हो रही है।

महोदय, किशोर न्याय बोर्ड में पत्रावालियों के रख–रखाव हेतु अलग रिकार्ड रुम भी उपलब्ध नहीं है जिस कारण निस्तारित की जा चुकी पत्रावालियों का सुरक्षित रख–रखाव संभव नहीं हो पा रहा है।

महोदय साथ ही यह भी अवगत कराना है कि बोर्ड सदस्यों (जिसमें से, दो बोर्ड सदस्य महिला हैं) के बैठने के लिये कोई चैम्बर तथा शौचालय उपलब्ध नहीं है। किशोर न्याय बोर्ड में कार्यरत बोर्ड सदस्यों तथा कर्मचारीगणों के लिये कॉमन शौचालय भी उपलब्ध नहीं है।

बोर्ड परिसर में उचित स्थान उपलब्ध न होने के कारण वी.सी. के लिये उपलब्ध टी.वी. भी चार माह से रखा हुआ है जिसे इन्सटाल नही किया जा सका है।

उत्तर प्रदेश किंशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2019, नियम 6(10) के अनुसार बोर्ड की अवसंरचना प्रदान करने का दायित्व राज्य सरकार का है।

अतः माननीय महोदय से विन्रम निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित को आदेशित करने हेतु समुचित आदेश पारित करने की कृपा करें, जिससे किशोर न्याय बोर्ड में कार्य संचालन समुचित रुप से संभव हो सके।

सादर।

दिनांक– 8-5-2023

भवदीया,

Ganga Sharma

डॉ.(श्रीमती) गंगा शर्मा
प्रधान मजिस्ट्रेट
किशोर न्याय बोर्ड
फतेहपुर।